तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चेनाराम बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 215/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.20	अपीलार्थी चेनाराम पुत्र जगदीश जाट, निवासी जाटों का बास, ग्राम व पोस्ट जवासीया, रियां सेठों की तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.09..20 में उसके द्वारा (1) कार्यालय कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर के आदेश क्रमांक/90/6744 दिनांक 06.11.1990 के आदेशानुसार श्री भंवरलाल जांगिड पुत्र नारायणराम ग्राम जवासीया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने प्रथम नियुक्ति के दौरान दिनांक 20.11.1990 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अस्थाई तौर पर कार्यभार ग्रहण किया गया था। इससे पूर्व इनके पिता की मृत्यु दिनांक 22. 11.1982 को सेवाकाल में रहते हुए हुई तथा राजस्थान रिक्रुटमेंट डिपेन्डेस ऑफ गवर्मेंट डांईग वाईलइन सर्विस रूल्स, 1975 के प्रावधानों के तहत पटवारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने का प्रार्थना पत्र दिया तथा नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर भू.अ. जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम एवं प्रभारी अधिकारी, भू.अ. कलक्टर कार्यालय) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(अपर जिला कलक्टर .) से जरिये पत्रांक 1024 दिनांक 11.11.2020 रिपोर्ट प्राप्तं हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, भू.अ. जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर द्वारा तहसीलदार पीपाड़शहर को कार्यालय के पत्रांक 8547 दिनांक 13.10.2020 द्वारा प्रेषित किया गया तथा तहसीलदार पीपाड़शहर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बिलाड़ा को प्रेषित कर दिया गया। प्रभारी अधिकारी, भू.अ. कलक्टर कार्यालय [illegible] रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कार्यालय कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर के आदेश क्रमांक/90/6744 दिनांक 06.11.1990 के आदेशानुसार श्री भंवरलाल जांगिड पुत्र नारायणराम ग्राम जवासीया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने प्रथम नियुक्ति के दौरान दिनांक 20.11.1990 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अस्थाई तौर पर कार्यभार ग्रहण किया गया था तथा राजस्थान रिक्रुटमेंट डिपेन्डेस ऑफ गवर्मेंट डांईग वाईलइन सर्विस रूल्स, 1975 के प्रावधानों के तहत पटवारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने का प्रार्थना पत्र दिया तथा नियुक्ति के संबंध में सम्पूर्ण प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां चाही गई। चूंकि प्रथम नियुक्ति जिला मुख्यालय कार्यालय लगातार....	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:54:23 IST
Reason: SelfAttested

Reason: SelfAttested

से की जाती है संभवत् नियुक्ति संबंधी पत्रावली जिला मुख्यालय पर संधारित की जाती है अतः अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर/प्रभारी अधिकारी, भू. अ. शाखा कलक्टर कार्यालय) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।